राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–3) विभाग

क्रमांकःप. 1 (110)कार्मिक/क–3/2012 जयपुर, दिनांक : 19 SEP 2013

परिपत्र

राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पादित करने हेतु कार्मिक विभाग ही सक्षम है। तदनुसार राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों को निलम्बित करने का कार्य कार्मिक विभाग का है। कार्य विधि नियमों के अन्तर्गत प्रसारित स्थाई आदेश (Standing Order) के तहत राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों के निलम्बन प्रस्ताव प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं।

किन्तु, प्रायः यह देखा गया है कि जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग राज्य सेवा के अधिकारियों के निलम्बन अपने स्तर पर कर देते हैं। जबकि उन्हें इस प्रकार के निलम्बन करने की शक्तियाँ प्रदत्त नहीं हैं। कतिपय परिस्थितियोंवश, आपातकाल स्थिति में, यदि राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों का निलम्बन कार्मिक विभाग के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारी द्वारा कर दिया गया है, तो तत्काल उसकी पुष्टि कराना आवश्यक है। लेकिन निलम्बन के उपरान्त दीर्घकाल तक इस प्रकार के निलम्बन की पुष्टि के प्रस्ताव कार्मिक विभाग को सम्बन्धित जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। अनेक मामलों में निलम्बन की पुष्टि के प्रस्ताव तो कार्मिक विभाग को भिजवाये ही नहीं जाते हैं और सम्बन्धित राज्यस्तरीय अधिकारियों को जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग स्तर पर बिना अधिकार के निलम्बन से बहाल कर दिया जाता है। इसके बाद निलम्बन अवधि के नियमन के प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भिजवाये जाते हैं। कार्मिक विभाग द्वारा निलम्बन अवधि के नियमन हेतु अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखे जाने पर जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रायः यह सूचित किया जाता है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। चूंकि यह प्रक्रिया नियमों के विपरीत है, इससे कानूनी अड़चन आती है। विशेष रूप से इस प्रकार की प्रक्रिया गृह (पुलिस) विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग में देखने में आई है। बिना अधिकार निलम्बन करना, लम्बे समय तक कार्मिक विभाग से पुष्टि नहीं कराना, अपने स्तर पर (बिना आरोप पत्र प्रस्तावित किये) बहाल करने से राज्य को निलम्बन अवधि नियमित कर समस्त सेवा परिलाभ देने पड़ते हैं। इससे यह प्रभाव पड़ता है कि अधिकारी बिना काम किये समस्त सेवा परिलाभ प्राप्त कर लेता है। इन समस्त कार्यवाही में पारदर्शिता का अभाव रहता है। निलम्बित होने वाले अधिकारी को बिना आरोप पत्र के ही निलम्बित किये जाने से प्रशासनिक पारदर्शिता नहीं बनी रहती है और बदले की भावना का भी आभास होता है। यदि निलम्बित अधिकारी न्यायालय में चला जाता है तो इससे राजकीय छवि खराब होती है और निलम्बन को युक्तियुक्त रूप से प्रभावी रखने में कठिनाई पैदा होती है। अतः ऐसी स्थिति से जहाँ तक हो सके बचना चाहिये।

इस प्रकार की प्रक्रिया इस विभाग के पूर्व परिपत्र दिनांक 31.10.77, 26.06.85, 07.11.98 एवं 10.01.2001 के दिशा निर्देश के विपरीत है एवं कार्य विधि नियमों के आईटम संख्या 21 एवं 22 के अन्तर्गत प्रसारित स्थाई आदेश (Standing Order) के अनुरूप नहीं है।

अतः भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जावे कि राज्य सेवा के अधिकारियों के निलम्बन के प्रस्ताव केवल कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किये जावें। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष एवं विभाग के अन्य अधिकारी जिन्हें निलम्बन की शक्तियां प्रदत्त नहीं हैं, राज्य सेवा स्तर के अधिकारी को निलम्बित नहीं करें, यदि मामला अत्यधिक आवश्यक प्रकृति का हो तो दूरभाष पर मुख्य सचिव अथवा प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जावे एवं इसके उपरान्त तत्काल दूरभाष का सन्दर्भ देते हुए निलम्बन की पुष्टि हेतु प्रकरण अनिवार्य रूप से अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव के साथ 7 दिवस में कार्मिक विभाग को प्रेषित किये जावें।

उक्त अनुदेशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करावें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जावेगा।

(सी.के. मैथ्यू) 19/9/13
मुख्य सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव
समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव
समस्त सम्भागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त जिला कलक्टर